दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेशः- 1186 **दिनांकः** 30/12/2022

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर **श्री मनीष कुमार वर्मा सुपुत्र श्री एस. के. वर्मा**, निदेशक (योजना) (वरियता सं. 41) को **अतिरिक्त आयुक्त (योजना)** के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 13 (₹1,23,100 - 2,15,900/-) में (जो कि छठे वेतन आयोग में ₹37400-67000/- के पे बैंड में ₹8700/- के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते है| **ये आदेश दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी होंगे ।**

2. यदि उपरोक्त अधिकारीयों को गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड पूर्व संशोधित ₹37400-67000/- के वेतनमान में ₹8700/- के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) [जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल- 13 है] पहले ही प्रदान कर दिया गया है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नही होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल-13 में निर्धारित होगा । यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के आधार पर एफ.आर.22(I)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(I)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं ।

3. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें आगे की तैनाती हेतु **आयुक्त (योजना)-II** को रिपोर्ट करने का आदेश किया है।

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है । उनकी पदोन्नति उनके नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

5. उपरोक्त पदोन्नति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2019 के अनुसार पुर्नर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. (सी.) नं० 026494/2019 शीर्षिक 'अशोक कुमार बनाम कंवल कुमार व अन्य' और एस.एल.पी.(सी.) नं. 001762/2020 शीर्षिक 'नीधि त्यागी बनाम कंवल कुमार व अन्य' के अंतिम परिणाम, के **अधीन है।**

(विनीत जैन) 30/12/22
आयुक्त (कार्मिक)

सं.-एफ.10(64)2022 /सी.सी./ 1018 **दिनांकः** 30/12/2022

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के विशेष कार्यधिकारी को सूचनार्थ।
2. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
3. प्रधान आयुक्त (कार्मिक/उद्यान) दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. आयुक्त -(कार्मिक), (योजना)-I&II, (भूमि-प्रबंधन) दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
5. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
6. मुख्य अभियंता (सिविल) कोटि नियंत्रण, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव |
7. मुख्य लेखाधिकारी, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव |
8. अतिरिक्त आयुक्त (योजना) - परियोजना, 1, 2, 3, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
9. निदेशक - (कार्मिक)-1, सतर्कता 1 - 2, योजना समन्वय, दि.वि.प्रा.|
10. उप निदेशक (लैंड पूलिंग –1), योजना क्षेत्र के –I, एल एवं जे(मैपिंग) दि.वि.प्रा.|
11. उप निदेशक - (कार्मिक)-1, सतर्कता(प्रशा.), आरक्षण कक्ष, आर.टी.आई. कक्ष, दि.वि.प्रा. ।
12. उप निदेशक (पी.एम.आई.एस.), दि.वि.प्रा.-आदेश को दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु।
13. सहायक निदेशक -(कार्मिक)-1, पी.एम.आई.एस., गोपनीय कक्ष - 2, दि.वि.प्रा. ।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी (योजना संस्था.), दि.वि.प्रा. ।
15. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
16. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल ।

(प्रमोद कुमार)
उप निदेशक (गोपनीय शाखा)